



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247756
CG-DL-E-01082023-247756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3290]
No. 3290]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

(आयकर)

का.आ. 3440(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (6) और उप-नियम (3) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (v) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (48) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विवरण के साथ इस बांड को शून्य कूपन बांड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

- | | |
|---|---|
| (क) बांड का नाम | - आरईसी लि. के दस वर्षीय शून्य कूपन बांड |
| (ख) बांड की समयावधि | - दस वर्ष एक माह |
| (ग) बांड जारी करने की समय सारणी | - 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले जारी किया जाना है; |
| (घ) बांड की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि | - प्रत्येक बांड के लिए 1 लाख रुपए |
| (ङ) छूट | - 2517.85 करोड़ रुपए |
| (च) जारी किए जाने वाले बांड की संख्या | - पांच लाख |

[अधिसूचना सं. 56/2023/फा. सं. 164/1/2023-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2023

(INCOME TAX)

S.O. 3440(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of section 2 of the said Act, namely :-

- | | |
|---|---|
| (a) name of the bond | -Ten Year Zero Coupon Bond of REC Ltd. |
| (b) period of life of bond | -ten years one months |
| (c) the time schedule of the issue | - to be issued on or before the 31 st day of March of bond 2025; |
| (d) the amount to be paid on
maturity or redemption
of the bond | - 1 lakh rupees for each bond |
| (e) the discount | - Rs. 2517.85 crores |
| (f) the number of the bonds to
be issued | - five lakhs |

[Notification No. 56/2023/F. No.164/1/2023-ITA-1]

VIKAS SINGH, Director